



आवास बन्धु

आवास एवं शहरी नियोजन  
विभाग उ०प्र० शासन



प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ

दूरभाष : 0522-2622941, 2627021,

फैक्स: 0522-4331202

E-mail: awasbandhu@gmail.com

website: http://www.awas.up.nic.in

संख्या : १३८५ / आ.ब.-१- / निदेशक / २०२३

दिनांक : २८ अप्रैल, २०२३

प्रेषक,

निदेशक,  
आवास बन्धु,  
उत्तर प्रदेश।

अनुस्मारक-३

सेवा में,

१. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
(सहारनपुर, अयोध्या, मुरादाबाद,  
मथुरा-वृन्दावन, हापुड़-पिलखुवा,  
मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर,  
बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, उरई,  
कानपुर व लखनऊ को छोड़कर)  
उत्तर प्रदेश।

२. अध्यक्ष,  
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,  
(चित्रकूट व कुशीनगर को छोड़कर)  
उत्तर प्रदेश।

विषय: न्यू पेंशन स्कीम के अन्तर्गत पेंशन अंशदान की धनराशि जमा कराये जाने से संबन्धित विवरण  
उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या-९०८१/आ.ब.-१/निदेशक-समीक्षा  
बैठक/२०२२-२३ दिनांक ०२.०२.२०२३ एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-९१३०/आ.ब.-१/निदेशक-समीक्षा  
बैठक/२०२२-२३ दिनांक १७.०२.२०२३ व पत्र संख्या-९२२७/आ.ब.-१/निदेशक/२०२२ दिनांक १७.०३.२०२३ का  
सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रमुख सचिव, महोदय द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में, अपने  
अभिकरणों से सम्बन्धित न्यू पेंशन स्कीम से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान की धनराशि जमा कराये  
जाने से सम्बन्धित विवरण निर्धारित प्रारूप पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जो अभी  
तक अपेक्षित है।

२- अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया उक्त वांछित सूचनाएं संलग्न प्रारूप पर शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध  
कराने का कष्ट करें, जिससे समेकित सूचना शासन को शीघ्र प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(रवि जैन)  
निदेशक

प्रतिलिपि:- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को  
सूचनार्थ प्रेषित।

(रवि जैन)  
निदेशक